

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 15.04.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 278/2026 धारा 3(1)/2(b)(i) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित 02 नफर अभियुक्तगण 01. जाकिर खान पुत्र साकिर अली निवासी भरपूरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02.रामरतन यादव उर्फ भुवर यादव पुत्र माता प्रसाद यादव निवासी भैंसहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 14.04.2026 को काजीपुर मगहर कस्बा को जाने वाली बाइपास रोड गेट के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. जाकिर खान पुत्र साकिर अली निवासी भरपूरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

02.रामरतन यादव उर्फ भुवर यादव पुत्र माता प्रसाद यादव निवासी भैंसहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव का0 अजीत कुशवाहा, का0 अरमान खान।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7667 द्वारा दो पक्षों में विवाद/मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 7667 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत भरवलिया से कालर द्वारा दो पक्षों में विवाद/मारपीट के कारण घायल 01 व्यक्ति (01. मुकेश कुमार पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम भरवलिया बाबू थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 सेमरियावां भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 सेमरियावां भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 विमल सिंह, हो0गा0चा0 करम हुसैन।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 159 वाहनों से 2,13,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 159 वाहनों से 2,13,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

दबिश के दौरान 13 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 02 वारण्टी 1. चन्द्रशेखर उर्फ नागर पुत्र बालिकरन साकिन भगौसा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2. मोहम्मद रईस पुत्र अकील मोहम्मद निवासी पचदेवरा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री दिनेश कुमार कसौधन, उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह, का0 भीम कुमार प्रथम, का0 रंजन कुमार राजभर ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 05 वारण्टी 01. जलाने पुत्र विदेशी निवासी गगनईबाबू थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 02. धर्मेन्द्र पुत्र विदेशी निवासी गगनई बाबू थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 3. रामनेवास पुत्र खदेरू निवासी बैरिहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 4. मधुरेश कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ठाकुद्वारा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 5. प्रभावती पत्नी लालमन निवासी पक्का पोखरा सुअरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, उ0नि0 श्री योगेश राय, उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा हे0का0 अशोक सिंह, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, म0का0 प्रियंका यादव ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी 1. मजहर आजाद पुत्र मुबारक हुसैन निवासी पसाई थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 2. रामू पुत्र छविलाल निवासी नावध थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 3. बाबूराम पुत्र मिठू निवासी सुन्दरपुर बजहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री राम मिलन साहनी, उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, का0 लवकेश यादव, हे0का0 उमेश यादव ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 वारण्टी 1. दीपक पुत्र दुर्गेश निवासी बेलहरखुर्द थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 2. पीताम्बर पुत्र पियारे निवासी भेड़ौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 3. दर्शन पत्नी विशुन निवासी लोहरौली मिश्र थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री रामनयन आर्या, उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, उ0नि0 श्री ब्रम्हानन्द, का0 रामभूषण पटेल, का0 रत्नेश सिंह, का0 राहुल कुमार, हे0का0 विक्रम प्रसाद, का0 रोहित कुमार, का0 ओमप्रकाश चौरसिया, का0 संतोष चौहान, म0का0 वैष्णवी शुक्ला ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में ऑपरेशन दहन के अन्तर्गत कोतवाली खलीलाबाद थाने द्वारा कुल 04 अभियोगों से सम्बन्धित 02 किलो 600 ग्राम अवैध गाँजा व 100 अदद डायजापाम गोली को किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में मादक पदार्थों के निस्तारण एवं विनष्टीकरण हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन दहन के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक ***श्री जय प्रकाश दुबे*** के नेतृत्व में कोतवाली खलीलाबाद थाना के मालखाना में लम्बे समय से कुल 04 अभियोगों से सम्बन्धित जमा 02 किलो 600 ग्राम गाँजा व 100 अदद डायजापाम गोली को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में MPCC (मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी) औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में इंसीनरेटर के माध्यम से नियमानुसार वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराते हुए नष्ट कराया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी/कूटरचित दस्तावेज पर जमीन बेचने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0स0 62/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. बेचन पुत्र स्व0 रामलाल निवासी भगौसा थाना बेलहरकला 02. सुनीता पत्नी सर्वजीत निवासी बेलाखर्गकला थाना बेलहरकला 03. उषा देवी पत्नी चन्द्रभान निवासी सौरहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को उनके घर से आज दिनांक 15.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 22.02.2026 को वादी मुकदमा श्री रामसुभग पुत्र पियारे द्वारा मेंहदावल पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी/कूटरचित दस्तावेज पर **जमीन बेचने** के सम्बन्ध में मु0अ0स0 62/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्तों को आज दिनांक 15.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. बेचन पुत्र स्व0 रामलाल निवासी भगौसा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
02. सुनीता पत्नी सर्वजीत निवासी बेलाखर्गकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
03. उषा देवी पत्नी चन्द्रभान निवासी सौरहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, हे0का0 मोतीलाल यादव, कां0 वीरेन्द्र कुमार, म0का0 सबीना खातून।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में ऑपरेशन दहन के अन्तर्गत बेलहरकला थाने द्वारा कुल 03 अभियोगों से सम्बन्धित 02 किलो 750 ग्राम अवैध गाँजा को किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में मादक पदार्थों के निस्तारण एवं विनष्टीकरण हेतु चलाये जा रहे आपरेशन दहन के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में बेलहरकला थाना के मालखाना में लम्बे समय से कुल 03 अभियोग से सम्बन्धित जमा 02 किलो 750 ग्राम अवैध गाँजा को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में MPCC (मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी) औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में इंसीनरेटर के माध्यम से नियमानुसार वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराते हुए नष्ट कराया गया।

मेटा अलर्ट से प्राप्त आत्महत्या सम्बन्धी प्रकरणों में जनपद द्वारा प्रदान की जाने वाली बिंदुवार सूचना से सम्बंधित प्रोफोर्मा ।

1- जनपद एवं थाने का नाम- जनपद संतकबीरनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद ।

2- पीड़िता का नाम- रीता चौहान (जरिए मोबाइल थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा वार्ता किया गया है तो नाम पता बताने से इंकार कर रही है तथा बता रही है कि मैं कम्पनी में काम करती हूँ, मैं फिनायल की गोली नहीं खायी हूँ, ऐसे ही विडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, अब मैं डिलीट कर दे रही हूँ)

3- पीड़ित के पिता का नाम- निल

4- पीड़ित की उम्र- निल

5- पीड़ित का लिंग- महिला

6- पीड़ित की जाति- चौहान

7- पीड़ित का धर्म- हिन्दू

8- पीड़ित की शैक्षणिक योग्यता- निल

9- पीड़ित का व्यवसाय – कम्पनी में वर्कर ।

10- पीड़ित के परिजन का नाम/रिश्ता एवं मोबाइल नंबर- निल ।

11- पीड़ित के द्वारा किस प्रकार की पोस्ट की गई (टेक्स्ट/फोटो/वीडियो अपलोड किया गया)- विडियो ।

12- आत्महत्या का प्रयास करने का कारण- आत्महत्या का प्रयास नहीं किया गया था ।

13-काउंसलिंग करने वाले पुलिस कार्मिक का नाम / पद / मो०न० – उ०नि० श्री धर्मेन्द्र मिश्र पीएनओ 152767035, का० भानूप्रताप सिंह पीएनओ 192771463

14- पीड़ित द्वारा इस प्रकार की पोस्ट न किये जाने के संबंध में लिखित / मौखिक आश्वासन- जरिये दूरभाष आश्वासन

15- क्या पीड़ित द्वारा आत्महत्या न करने का आश्वासन दिया गया-हाँ

16- पीड़ित द्वारा लिखित / विडियो के माध्यम से दिए गए आश्वासन की प्रति उपलब्ध होने की दशा में मुख्यालय को प्रेषित करें-

17- पीड़ित के परिजनों की वीडियो प्रेषित करें जिसमें परिजनों के द्वारा पुलिस की तत्परता पूर्वक कार्यवाही की सराहना की गई हो-

नोट- चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जरिये मोबाइल द्वारा वार्ता किया गया तो लड़की द्वारा बताया गया कि मैंने कोई आत्महत्या का प्रयास नहीं किया था, गलती से विडियो पड़ गयी थी, जो मैंने डिलीट कर दिया है ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में ऑपरेशन दहन के अन्तर्गत बखिरा थाने द्वारा कुल 09 अभियोगों से सम्बन्धित 10.25 किलो अवैध गाँजा व 84 ग्राम नशीली गोली डायजेपाम को किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में मादक पदार्थों के निस्तारण एवं विनष्टीकरण हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन दहन के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व में बखिरा थाना के मालखाना में लम्बे समय से कुल 09 अभियोगों से सम्बन्धित जमा 10.25 किलो अवैध गाँजा व 84 ग्राम नशीली गोली डायजेपाम को मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में MPCC (मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी) औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में इंसीनरेटर के माध्यम से नियमानुसार वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराते हुए नष्ट कराया गया ।